न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–डिक्री 127/2018
पंजीयन दिनांक 05.07.2018

(1). उदा पिता चेना जाति डांगी निवासी सेमलिया तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2). तुलसी पत्नी उदा जाति डांगी निवासी सेमलिया तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(3). लाला पिता उदा जाति डांगी निवासी सेमलिया तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(4). बाजू पिता चेना जाति डांगी निवासी सेमलिया तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

–अपीलांट्गण

बनाम

(1). चतुर्भुज पिता सवराम जाति डांगी निवासी सेमलिया तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2). राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार डूंगला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

–रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 65/2017 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.2018

उपस्थित वक्त बहस–(1). चन्दनमल जणवा–अधिवक्ता अपीलांट्गण
(2). मदन त्रिपाठी– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(3). पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2

निर्णय **दिनांक 18.08.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183, 188 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सेमलिया पीलाखेड़ा तहसील डूंगला मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 118 मे दर्ज आराजी संख्या 752/1 रकबा 0.063 हैक्टेयर कृषि आराजीयात अवस्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है परन्तु वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लम्बे समय से बाहर रहता है जिसका अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने नाजायज फायदा उठाकर कब्जा करने की नीयत से उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर निर्माण कार्य करना शुरु कर दिया। इस प्रकार अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात पर अवैध रूप से कब्जा व निर्माण कार्य कर रहे है तथा वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उसकी आराजीयात से बेदखल करने की धमकी दे रहे है। अन्त मे अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया कि वह वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे दखलंदाजी व किसी प्रकार का कोई निर्माण व संरचना मे परिवर्तन नहीं करे।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत उक्त आशय का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। पत्रावली दिनांक 21.05.2018 को लोक अदालत कैम्प सेमलिया पीलाखेड़ा मे रखी जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के कुछ भू-भाग पर अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का अवैध कब्जा होना मानते हुए वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को बेदखल किये जाने एवं कब्जा पुनः वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सुपुर्द करवाया जाकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे कोई निर्माण नहीं करने व दखलदाजी पैदा नहीं करने हेतु अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने यह अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की।

अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट्गण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधिवक्ता अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। सम्मन नोटिस की पालना मे अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व जवाब हेतु अवसर चाहा। पत्रावली वास्ते जवाब नियत थी जिसे दिनांक 26.04.2018 को लोक अदालत केम्प मे नियत किया गया। जिसके लिए तारीख पेशी 21.05.2018 नियत की गई। दिनांक 21.05.2018 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प सेमलिया पीलाखेड़ा मे रखी गई जिसकी जानकारी अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को नहीं थी। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का जवाबदावा लिये बगैर लोक अदालत के तहत उभय पक्षकारान के मध्य बिना किसी लिखित राजीनामे के वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अपीलांट्गण प्रतिवादीगण सख्या 1 से 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व जवाबदावा हेतु अवसर चाहा। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का कब्जा होना प्रमाणित होने से वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र प्रमाणित होने से वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष मे वादपत्र स्वीकार किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत होने से प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व जवाब हेतु अवसर चाहा। पत्रावली वास्ते जवाब नियत थी जिसे दिनांक 26.04.2018 को लोक अदालत केम्प मे नियत किया गया। जिसके लिए तारीख पेशी 21.05.2018 नियत की गई। दिनांक 21.05.2018 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प सेमलिया पीलाखेड़ा मे रखी गई जिसकी जानकारी अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को नहीं थी। अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का जवाबदावा लिये बगैर लोक अदालत के तहत उभय पक्षकारान के मध्य बिना किसी लिखित राजीनामे के वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को विवादित कृषि आराजीयात से बेदखल किये जाने एंव विवादित कृषि अराजीयात पर कोई संरचना, निर्माण नहीं करने व दखलदाजी पैदा नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवादित कृषि आराजीयात के संबंध मे मौका रिपोर्ट तलब किये बिना ही एवं विवादित कृषि आराजीयात पर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का कब्जा होने संबंधी दस्तावेज पत्रावली मे उपलब्ध नहीं होने के बावजूद विवादित कृषि आराजीयात पर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का कब्जा होना मानकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को बेदखल किये जाने एंव विवादित कृषि अराजीयात पर कोई संरचना, निर्माण नहीं करने व दखलदांजी पैदा नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगला प्रकरण संख्या 65/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2018 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित कृषि आराजीयात की मौका रिपोर्ट तलब की जाकर, उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का जवाबदावा लिया जाकर ,तनकीयात कायम की जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

[illegible] की पालना करते हुए गुणावगुण पर तनकीवार, अजसरे नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 19.09.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)